न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 24/2021 नामान्तरकरण अपील

1. रामप्रताप पुत्र कंचन
2. हरिमोहन पुत्र कंचन
3. धर्मी पुत्र कंचन

} समस्त जाति मीना निवासी जोध्या तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय।
2. रंगलाल पुत्र श्रीनारायण जाति मीना निवासी जोध्या तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार सिकराय दिनांक 3.11.99 नामान्तरकरण संख्या 211 ग्राम अम्बाडी तहसील सिकराय पर पारित किया गया है)

उपस्थिति :—1. श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः—09.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम अम्बाडी तहसील सिकराय में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 72, 73, 73/2, 164 कुल रकबा 21 बीघा 8 बिस्वा के हिस्से 1/2 के खातेदार सोन्या पुत्र मोहरया जाति मीना निवासी जोध्या था। उक्त सोन्या की मृत्यू हो गई। सोन्या के हक की भूमि के 1/2 हिस्से के 1/2 हिस्से के वारिस अपीलान्ट व रामसहाय, कन्हैया पुत्र सांवत्या है तथा 1/2 हिस्से के वारिस रंगलाल, गोपाल, प्रसादी पुत्रान श्रीनारायण है तथा उक्त सोन्या के 1/2 हिस्से की भूमि के 1/2 हिस्से पर मौके पर अपीलान्ट व रामसहाय, कन्हैया का कब्जा है तथा 1/2 हिस्से पर रंगलाल, गोपाल व प्रसादी का कब्जा है। रंगलाल ने अपने आप को सोन्या का दत्तक पुत्र बताते हुये पटवारी हल्का से मिलीभगत करके उक्त भूमि के सोन्या की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 211 ग्राम अम्बाडी दिनांक 3.11.1999 बिना गोदनामा, कब्जे की जांच किये बिना तस्दीक करवा लिया। तहसीलदार सिकराय के उक्त आदेश दिनांक 3.11.1999 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल नामान्तरकरण अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलान्ट व अपीलान्ट के पिता कंचन एवं रामसहाय कन्हैया आदि को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही व मौके पर कब्जे की जांच किये बिना तथा बिना गोदनामा की जांच किये गोदनामा का कोई सबूत लिये बिना प्रश्नगत आदेश दिनांक 3.11.1999 पारित किया गया है। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग है। जिसके जरिये अधिकार तय नहीं किये जा सकते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकार दावे के जरिये तय किये जा सकते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रंगलाल द्वारा प्रस्तुत उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत दावा न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 27.10.1999 को खारिज किया जा चुका है। जिसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रंगलाल वादी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वादी उक्त दावे को नही चलाना चाहता है। इस आधार पर उक्त दावा को खारिज किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रंगलाल द्वारा उदघोषणा का दावा प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व ही कर चुका है और उक्त दावा खारिज हो गया तो दावा खारिज हो जाने के बाद नामान्तरकरण जैसी फिस्कल प्रोसिडिंग में उसको अधिकार नहीं दिया जा सकता था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने में कानूनी गलती की है जो निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 211 दिनांक 3.11.1999 को खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब बहस के दौरान निवेदन किया गया कि तहसीलदार सिकराय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 211 दिनांक 3.11.1999 को तस्दीक किया गया है। जिसकी अपील 21 वर्ष पश्चात इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसके सम्बन्ध में कोई औचित्यपूर्ण तथ्य भी अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्गनत नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त नामान्तरकरण विरासत का नामान्तरकरण है अथवा गोदनामा के आधार पर तस्दीक किया गया है। प्रश्नगत नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रंगलाल द्वारा किये गये अधिघोषणा के दावे को स्वयं के अनुरोध पर सहायक कलक्टर दौसा द्वारा खारिज किये जाने के उपरान्त दिनांक 3.11.1999 को तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 211 दिनांक 3.11.1999 ग्राम अम्बाडी तहसील सिकराय निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में मूल खातेदार सोन्या पुत्र मोहरया जाति मीना निवासी जोध्या तहसील सिकराय के वारिसान, भूमि के रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेजात की जांच कर तथा समस्त वारिसान को सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा